SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

ग्रामीण विकास में मनरेगा का योगदान

संजीव कुमार, (Ph.D.), अर्थशास्त्र विभाग,
डॉ. भीमराव अम्बेडकर, तराई किसान महाविद्यालय, लालपुर, निघासन खीरी, लखीमपुर, उत्तरप्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author

संजीव कुमार, (Ph.D.), अर्थशास्त्र विभाग,
डॉ. भीमराव अम्बेडकर, तराई किसान महाविद्यालय,
लालपुर, निघासन खीरी, लखीमपुर, उत्तरप्रदेश, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 15/09/2022
Revised on : -----
Accepted on : 22/09/2022
Plagiarism : 01% on 15/09/2022

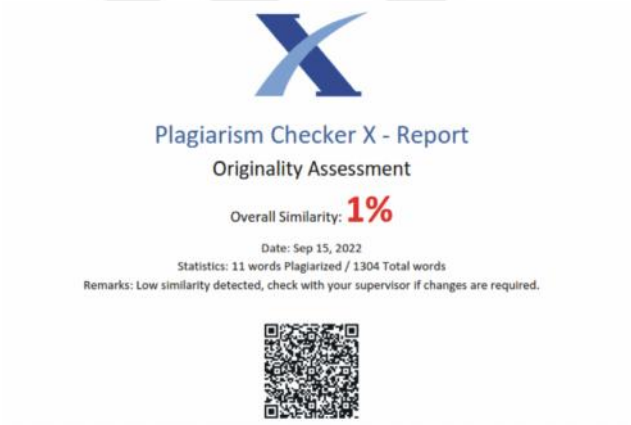

शोध सार

महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी कानून 2005 है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में हर वयस्क को आवेदन करने पर 15 दिनों के अन्दर स्थानीय सार्वजनिक कार्यो में काम दिया जाता हैं। रोजगार के बिना किसी व्यक्ति के जीवन निर्वहन असम्भव हैं। लोकतंत्र में अपने सभी नागरिकों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाना सरकारों का दायित्व हैं, इसी कड़ी में भारत सरकार ने एक जनकल्याण योजना आरम्भ की जिसे महात्मा गांधी रोजगार गांरटी योजना यानि मनरेगा (MNREGA) कहा जाता हैं। नये प्रावधानों को जोड़ने के साथ ही दो अक्टूबर 2009 को इस योजना का नाम राष्ट्रीय रोजगार गांरटी अधिनियम (नरेगा) से बदल कर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) कर दिया गया। भारत सरकार की यह ग्रामीण विकास योजना भारत की रीढ़ कहे जाने वाले गांवो के मजदूरों और किसानों की खुशहाली का कारण बन रही हैं। इस योजना में लोगों को शहरी की ओर पलायन को रोकने के साथ ही गांवों के विकास को नई गति दी हैं। कई ऐसे जनहितकारी कार्य जिनमें बांध नियन्त्रण, जल प्रबन्धन, भूमि–विकास ग्रामीण–विकास ग्रामीण सड़क और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए मनरेगा योजना ने एक अच्छी दिशा ग्रामीण विकास की ओर ले जाती हैं।

मुख्य शब्द

मनरेगा योजना, रोजगार, विकास, पलायन.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी एक्ट (मनरेगा) सितम्बर 2005 को लागू हुआ था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के विकास में लिया कुशलता हस्त कार्य ग्रामीण लोगों को कार्य कम से कम 100 दिन का निश्चित रोजगार उपलब्ध करवाना है कि कमजोर वर्गों

के विकास के साथ–साथ गावों का विकास किया जा सकें। यह एक्ट भारत के सभी ग्रामीण अंचलों वाले जिलों में लागू हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार मनरेगा विश्व में पहली ऐसी स्कीम है जो गरीबी के उत्थान में सहायक है।

ग्रामीण विकास में जरूरत के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को वित्तीय वर्ष में बिना कुशलता वाले हाथों से कार्य करने के लिए कम से कम 100 दिन रोजगार दिया जायेगा।

मनरेगा योजना के उद्देश्य

1. ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करके शहरी क्षेत्रों में प्रवास को कम करना।
2. ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका को आर्थिक सुरक्षा के लिए सुदृढ़ बनाना।
3. ग्राम सभा में कार्यकर्ता के प्रश्नों को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करना।
4. स्थानीय क्षेत्र की क्षमता, उसकी जरूरतों और स्थानीय संसाधनों को देखते हुए कार्यों की प्राथमिकता के उद्देश्य का क्रम निर्धारित करना।
5. ग्राम पंचायत के भीतर कार्यो के निष्पादन की निगरानी के लिए से कार्य करना।
6. मनरेगा के तहत किया गया पंजीकरण पांच से कम नही हो सकता हैं और समय–समय पर इसकी नवीनीकरण किया जा सकता हैं।

इसके लिए निम्न बिन्दुओं के माध्यम से किया जा सकता हैं:

- काम के लिए आवदेन कम से कम चौदह दिनो तक लगातार काम करने के लिए होना चाहिए।
- रोजगार की अवधि सामान्यता कम से कम चौदह दिन की होगी और सप्ताह में छह दिन से अधिक नही होनी चाहिए।
- एक व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार अधिकतम सौ दिन का रोजगार दिया जाता हैं।
- एक पंजीकृत परिवार का प्रत्येक व्ययस्क सदस्य जिसका नाम जॉब कार्ड में है, योजना के तहत अकुशल शारीरिक श्रम के लिए आवेदन करने का हकदार होगा।
- कम से कम एक तिहाई लाभार्थी वे महिलाएं होगी जिन्होंने इस अधिनियम के तहत पंजीकृत और काम के लिए अनुरोध किया हैं।
- यदि मजदूर अपने गांवों से ब्लॉक के दायरे से कार्य करने आता है तो उसका परिवाहन और रहने के खर्च को पूरा करने के लिए मजदूर को मजदूरी की दर से दस प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

ग्रामीण विकास में मनरेगा में मजदूरों का सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार की जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित हैः

1. राज्य सरकार नियम बनाती है और सरकार के लिए ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना का अधिसूचित करती हैं।
2. चोट या मृत्यु जैसे मामलों में राज्य सरकार द्वारा मुआवजा राज्य रोजगार गांरटी कोष से निर्धारित किया जाता हैं।
3. राज्य सरकार मजदूरी के उस हिस्से को निर्धारित करती जो रोजगार की अवधि के दौरान मजदूरों को दैनिक आधार पर नकद में भुगतान किया जा सकता हैं।
4. बेरोजगारी और भत्तों के भुगतान के मुद्दों से सम्बंधित जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा वार्षिक रिपोर्ट राज्य परिषद् में बचत की जाती हैं।

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कोविड–19 का प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे किसी भी सूरत में तार्किक तौर पर कृषि, अर्थव्यवस्था का वो सेक्टर है, जो सबसे कम प्रभावित होता हैं। इसे निराशा से अर्थव्यवस्था में एक चमकदार बिन्दु माना जाता हैं। जो रफ्तार पकड़ने की ओर अग्रसर है और अर्थव्यवस्था की पटरी पर लाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। रबी सीजन में बम्पर पैदावार एक अच्छा संकेत है, लेकिन एक पहलू है जो कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता हैं, वह है कृषि मजदूरी अर्थव्यवस्था।

लॉकडाउन के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े पैमानें पर कामगारों का रिवर्स माइग्रेशन हुआ हैं। इसका तात्कालिक प्रभाव में होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कामगारों की तादाद बढ़ेगी, खासकर उन इलाकों में जहां गरीबी हैं। मनरेगा स्थानीय श्रम बाजार में चार तरीके से काम करता हैं:

1. **अनुपयुक्तः** जहां स्थानीय स्तर पर मजदूरी दर मनरेगा से ज्यादा होती हैं वहां अध्ययन में पता चला है कि मनरेगा बहुत कारगार नहीं होता हैं और समुदाय मनरेगा के काम में रूचि नहीं लेता हैं। ऐसा शहरों से सटे इलाके औद्योगिक जिलों का देखा जाता है।
2. **अपर्याप्तः** जब मनरेगा मजदूरी दर स्थानीय मजदूरी दर से अधिक होता है लेकिन मनरेगा लागू करने का क्षेत्र व स्केल छोटा हो और मजदूरों की कमी हो तो मनरेगा अपर्याप्त होता है। ऐसा सामान्य तौर पर वहां देखा जाता है जहां स्थानीय प्रशासन पर्याप्त स्थितियां होते हुए भी मनरेगा के काम की मांग पैदा नही कर पाते हैं।
3. संभावित तौर पर महत्वपूर्ण ऐसे मामले में भी मनरेगा की मजदूरी दर स्थानीय मजदूरी दर के मुकाबले ज्यादा होती है और इससे मनरेगा के काम की मांग पैदा होती हैं। लेकिन मजबूत मांग होने के बावजूद स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा मनरेगा लागू करने में व्यवधान डाला जाता हैं।
4. जब मनरेगा की मजदूरी दर स्थानीय मजदूरी दर से अधिक हो स्थानीय प्रशासन अति सक्रिय होता हैं और ग्रामीण नेता अपनी क्षमता दिखाते हुए जब मनरेगा का इस्तेमाल अपनी सियासी पूंजी बढ़ाने में करते हैं।

मनरेगा की मजदूरी

मनरेगा की मजदूरी की दर सभी राज्यों में एक समान नही है। मनरेगा की दर राज्य में अलग–अलग मिलती है। आप सभी लोंगों को मालूम ही होगा मनरेगा योजना का अधिनियम 7 सितम्बर 2005 को विधान परिषद् में पारित किया गया था और पहली बार मनरेगा योजना के तहत कार्य की शुरूआत 2 फरवरी 2006 को आंध्रप्रदेश राज्य से हुई थी। वर्तमान समय में मनरेगा योजना सभी राज्यों में लागू हैं।

वर्तमान हम बनाने वाले है कि मनरेगा की मजदूरी 2022 में कितनी हैं। इनमें राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की मनरेगा मजदूरी प्रतिदिन दर रूपये में 237 रूपये आंध्रप्रदेश, 213 रुपये असम, 205 रूपये अरूणाचल प्रदेश, 194 रूपये बिहार, 190 रूपये छत्तीसगढ़, 224 रूपये गुजरात, 309 हरियाणा, एवं गैर अनु० क्षेत्र 198 रूपये अनुसूचित जनजातिय क्षेत्र में 248 रूपये जो कि हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में प्रतिदिन की दर से मजदूरी ग्रामीण क्षेत्रों में संघ शहरी क्षेत्रों में मिलती हैं।

निष्कर्ष

मनरेगा ने गरीबी रोजगार उन्मूलन, सृजन, ग्रामीण श्रम बाजार में मजदूरी में वृद्धि श्रमिकों की सौदेबाजी क्षमता में वृद्धि को सुनिश्चित कर ग्रामीण विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। इस दिशा में सरकार द्वारा दिये जा रहे प्रयास निश्चिय ही सकारात्मक है यदि इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाय जाएं तो मनरेगा एक कल्याणकारी योजना बनकर रह जाने के बजाय ग्रामीण विकास में मनरेगा भारत के सामाजिक आर्थिक विकास का एक सशक्त माध्यम बन सकती हैं।

सन्दर्भ सूची

1. भारतीय अर्थव्यवस्था– रूद्र एवं दत्त।
2. मनरेगा से रोजगार सृजन में योगदान का आर्थिक विश्लेषण– डां० राजेन्द्र कुमार मीणा।
3. मनरेगा के सामाजिक–आर्थिक प्रभाव– सीमा पारीक एवं अशोक पारीक।
4. दैनिक जागरण समाचार पत्र।
5. अमर उजाला समाचार पत्र।
6. कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका।

****